उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

राज्यसात अपील वाद संख्या-33/2023
चन्द्रदीप प्रजापति
–बनाम–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
13/05/2024	प्रस्तुत मामला सक्षम प्राधिकार–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी,, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल द्वारा राज्यसात वाद संख्या 21/2018 (जी0एफ0 वाद संख्या–276/2018) में दिनांक 05.12.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलवाद दायर है। दोनों पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि दिनांक 31.05.2018 को वनपाल श्री पतरस नाग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि हजारीबाग सलगा जंगल में अवैध तरीके से जे0सी0बी0 मशीन द्वारा वन भूमि पर खेत बनाने का कार्य किया जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर वे अन्य वन्यकर्मियों को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि वहां दो जे0सी0बी0 मशीन लगाकर खेत बनाया जा रहा है। वन गश्ती दल को देखते ही अभियुक्त जे0सी0बी0 मशीन छोड़कर भागने लगे, जिन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया, किन्तु वे लोग जंगल, झाड़ी, गढ्ढा–नाला का लाभ लेकर भागने में सफल रहे। वापस घटनास्थल पर आकर मौजूद दोनों जे0सी0बी0 मशीन को भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा 52 के तहत विधिवत जप्त कर जप्ती सूची बनाया तथा जप्त जे0सी0बी0 मशीन को लाकर सुरक्षित प्रमण्डलीय वन कार्यालय कार्यालय परिसर, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल में रखा गया। इस संबंध में काण्ड पंजीकृत कराया गया। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा राज्यसात वाद संख्या 21/2018 प्रारंभ कर जप्त जे0सी0बी0 मशीन SR No-1881625, इंजन नं0–H00093119, चेचिस नं0– HAR3DXSSL01881625 Reg. No. JH02-AH-5854 को राज्यसात करने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध यह अपीलवाद दायर किया गया है।	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

अपीलार्थी की ओर से दाखिल वकालतन अपील आवेदन का अवलोकन किया गया एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता को सुना अपीलार्थी द्वारा अपना पक्ष रखा गया कि:–

1. अपीलार्थी का कहना है कि वे जे0सी0बी0 मशीन SR No- 1881625, इंजन नं0–H00093119, चेचिस नं0– HAR3DXSSL01881625 Reg. No. JH02-AH-5854 के मालिक है एवं उनके द्वारा कोई वन अपराध कारित नहीं किया गया है।
2. अपीलार्थी का कथन है कि उनका जे0सी0बी0 मशीन जंगल क्षेत्र में कभी प्रवेश नहीं किया है एवं किसी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचाया गया है।
3. उक्त जे0सी0बी0 मशीन मोजा–सलगा(सादमपुर) के खाता नं0–43, प्लॉट नं0–05, रकबा–3.75 एकड़ भूमि पर कार्य कर रहा था। उक्त भूमि रैयती खाते की है तथा सोमर महो, पिता–बुचो महतो के नाम दर्ज है एवं यह भूमि शेख वाहिद मियां से निबंधित विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 19.01.1943 के द्वारा हासिल है।
4. उक्त भूमि की खरीदगी की तिथि से मालिकाना हक सोमर महतो एवं उनके उत्तराधिकारियों का है एवं भूमि उनके दखल–कब्जे में है।
5. अपीलार्थी का कथन है कि जप्त जे0सी0बी0 मशीन सोमर महतो के उत्तराधिकारियों के द्वारा किराये पर उनकी रैयती भूमि में कार्य करने के उद्देश्य से लिया गया था।
6. अपीलार्थी का अग्र कथन है कि वे कभी भी अवैध कार्य में संलिप्त नहीं रहे हैं एवं उनका कोई भी आपराधिक पूर्ववृत नहीं रहा है। उक्त जे0सी0बी मशीन राष्ट्रिय सम्पत्ति है तथा उसकी जप्ती से राष्ट्र एवं अपीलार्थी को क्षति हो रही है।
7. अपीलार्थी का कहना है कि जप्ती सूची वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा बनाया गया है परन्तु उसमें घटनास्थल का खाता संख्या, प्लॉट संख्या एवं चौहद्दी का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके कारण राज्यसात की पूरी कार्रवाई विधिसंगत नहीं है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपील आवेदन समर्पित कर राज्यसात वाद संख्या 21/2018 में सक्षम प्राधिकार–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल द्वारा दिनांक 05.12.2022 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक का बहस सुना तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। स्पष्ट है कि:–

(i) निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख में संलग्न प्राथमिकी एवं जप्ती सूची तथा पारित आदेश जे0सी0बी0 मशीन द्वारा किये जा रहे संबंधित भूमि की स्पष्ट विवरणी एवं चौहद्दी अंकित नहीं है।

(ii) अपीलार्थी द्वारा अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि उनके द्वारा जे0सी0बी0 मशीन भाड़े पर खाता संख्या–43, प्लॉट संख्या–05, रकबा–3.75 एकड़ भूमि पर रैयत के उत्तराधिकारियों को उक्त रैयती भूमि पर कार्य करने हेतु दिया गया था। पूर्व में उक्त भूमि के संबंध में वन विभाग द्वारा कभी कोई आपत्ति नहीं की गई है।

(iii) अपीलार्थी द्वारा जे0सी0बी मशीन द्वारा संबंधित भूमि के खाता/प्लॉट के साथ किये जा रहे कार्य से संबंधित कतिपय दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया है जबकि प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा पारित आदेश में संबंधित भूमि की स्पष्ट विवरणी अंकित नहीं है। संभवतः रैयती एवं वनभूमि के आस–पास रहने के कारण यह विरोधाभास रहा हो परन्तु स्पष्ट साक्ष्य के बिना उक्त जे0सी0बी0 मशीन को राज्यसात किया जाना नैसर्गिक न्याय के अनुरूप नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में भारतीय वन अधिनियम 1927 संशोधित 1989 की धारा–52 के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु पर्याप्त साक्ष्य/आधार नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सहमत होने का कोई विधि संगत कारण प्रतीत नहीं होता है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

अतः सभी तथ्यों पर विवेचनोपरान्त निम्न न्यायालय के आदेश में वर्णित तथ्य एवं आरोप की प्रकृति के आलोक में अपीलार्थी को को 50,000/– रू0 (पचास हजार) जुर्माना राशि के साथ अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल को भेजी जाय।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

लेखापित एवं संशोधित

13/5/24

उपायुक्त, हजारीबाग।

13/5/24

उपायुक्त, हजारीबाग।

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.06.06 16:33:30 +05:30
Location: 192.168.1.38